Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.- 44/2025]

Kiran Devi and Other.....Appellant

Versus

Arahul Devi and Other .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

01.3.2026

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-34/2024-25 में दिनांक-17.3.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
कहरा	कहरा/195	31	3285	0.873 डी.
			3285	1.74 डी.

दिनांक-13.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस दाखिल है।

अपीलार्थीगण का कहना है कि विश्वनाथ पासवान ने दिनांक-5.9.2008 को खाता सं.-31 खेसरा सं.-3285 (खाता नया-145 खेसरा नया-5265) का रकबा-4 धुर अर्थात 0.873 डी. जमीन मो.-50000 रू. में तय कर अग्रिम मो.-4000 रू. लेकर अपीलार्थी के ससुर व पिता व दादा को दखल कब्जा दे दिया गया। इस प्रकार विश्वनाथ पासवान से प्रश्नगत जमीन अपीलार्थी को जरबियानामा के माध्यम से प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि प्रश्नगत खेसरा 3285 में उनके पूर्वज को 8 धुर जमीन पहले से प्राप्त था। तथा यह कि इस 8 धुर के साथ वर्ष 2008 में प्राप्त 4 धुर को एक चक में मिलाकर अपीलार्थीगण द्वारा घर मकान बनाकर रहते आ रहे है। उनका कहना है कि 2008 मे तय किया गया जरबियानामा विश्वनाथ पासवान द्वारा लिया गया किन्तु विश्वनाथ पासवान के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अरबिन्द पासवान उर्फ पिचुवा उर्फ राजकुमार पासवान द्वारा प्रश्नगत जमीन किसी ओर को बिक्री कर देने की धमकी देने लगा। जिसके उपरांत उनके विरूद्ध नालसी वाद सं.- 330/2018 दायर किया गया गया। इस दौरान राजकुमार पासवान द्वारा नाजायज रूप से उक्त जमीन को निबंधित दस्तावेज संख्या-15581 दिनांक 7.10.2022 द्वारा विपक्षी को केवाला कर दिया गया। उनका कहना है कि प्रश्नगत मामले में स्वत्व का विषय संश्लिष्ट होने के बावजूद निम्न न्यायालय के स्तर से आदेश पारित किया गया है। जो सही नहीं है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत 4 धूर जमीन राजकुमार पासवान के द्वारा उन्हें निबंधित केवाला दस्तावेज सं.15581 दिनांक 7.10.2022 से प्राप्त है। तथा वर्तमान में दखल कब्जा में है। उनका कहना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा जरबियानामा गलत है जिसके निश्वत अपीलार्थी द्वारा कोई दीवानी वाद भी दायर नहीं किया गया है। उनका कहना है कि नालसी वाद से भी उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका कहना है कि उनको वैध केवाला के माध्यम से जमीन प्राप्त है। तथा यह कि अपीलार्थी का उक्त जमीन पर दखल कब्जा नहीं है। उनका कहना है कि उनके द्वारा किए जा रहे सीमांकन को रोकने का अधिकार अपीलार्थी को नहीं हैं। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करने का अनुरोध किया गया हैं।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वादी द्वारा

	01.3.2026	प्रश्नगत जमीन जरबियानामा से प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है जबकि प्रतिवादी का दावा है कि प्रश्नगत 4 धूर जमीन उन्हें निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-15581 दिनांक -07.10.2022 से उन्हें विश्वनाथ पासवान के पुत्र राजकुमार पासवान से प्राप्त हैं। जरबियानामा के आधार पर अपीलार्थी द्वारा जमीन पर किया जा रहा Legal Right का दावा किया जाना विधिमान्य नहीं है। अपीलार्थी अपने Case को Establish करने में विफल रहे हैं। तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 01/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 01/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	